(c) The policies taken in 1991-92 will lapse in the year 1992-93 in the event of non-payment of premiums and the details of the lapses of the policies of 1991-92 will therefore be available only after the finalisation of the valuation as at 31-3-1993 which is to be completed in September, 1993.

(d) Appropriate action against the persons responsible for the lapse is being taken.

Income Tax Exemption

3507. SHRI V. RAJESHWAR RAO : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether, in view of the 100 per cent exemption of donations from income tax, if given to Universities, the donations given in the year 1993-94 would be entitled for such concession;

(b) what is the name of the competent authority which will approve the University as eligible for such concession; and

(c) the date from which the competent authority would begin considering applications from Universities for this purpose ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The competent authority for considering applications of Universities will be notified shortly and the notification in this regard will be laid on the Table of the House.

वरिष्ठ अधिकारियों के परिसरों पर छापे

3508. **श्री सोम पाल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य सचिव/सचिव स्तर के अधिकारियों के परिसरों पर आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा कितने अधिकारी दोषी पाए गए ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों और उनकी सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एक मुख्य सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी के परिसरों की आयकर विभाग द्वारा तलाशी ली गई थी ।

कर्नाटक बैंक लि० की विभिन्न शाखाओं में 64.5 लाख रु० के सकल फर्जी निक्षेपों के बारे में प्राप्त हुई सूचना के आधार पर बैंक के विकास अधिकारी श्री राजाराम खानदिगे, जिन्होंने उन सभी जमाकर्ताओं का परिचय करवाया था, के परिसरों की आयकर विभाग द्वारा दिनांक 22-6-1990 को तलाशी ली गई थी । तलाशी के दौरान रिकार्ड किए गए बयान में श्री खानदिगे ने बताया कि श्री जे० अलेक्जेंडर तत्कालीन वित्त आयुक्त कर्नाटक सरकार द्वारा इन निक्षेपों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई थी । यह सूचना लोक आयुक्त को भेजी गई थी, जिस पर लोक आयुक्त तथा आयकर विभाग द्वारा श्री अलेक्जेंडर के परिसरों की तलाशी ली गई थी । किसी परिसम्पत्ति का अभिग्रहण नहीं किया गया । आयकर अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत सावधिक निक्षेप रखे गए थे । कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा धारा 132(5) के अन्तर्गत कार्यवाहियां स्थगित की गई हैं । तथापि, तलाशी के दौरान मालूम की